/3/
1094

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूँ

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

दिल खुश .... बनाम सत्यनारायण

करम मुकदमा प्रा.पत्र. 212 RTA नं. 12/2021 सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.11.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनि गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा महेसरा प.ह. राजगढ मे प्रार्थीगण के पिता व दादी विपक्षी स.1 व 2 के नाम कृषि आराजियात खाता स. 93 आ.स. 614/228 रकबा 0.6600 हे. व खाता स 89 आ.स. 228 रकबा 0.2900 हे. व 290 रकबा 0.4900 हे. भूमि संयुक्त सहखातेदारी से दर्ज रिकार्ड है। जो पैत्रिक भूमि है। विपक्षी स.1 को अपने पिता भैरू गुर्जर से विरासत से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार प्रा.पत्र वर्णित कृषि आराजियात मे प्रार्थीगण का जन्म से हक अधिकार है। दिनांक 6.9.2020 को विपक्षी गण, ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम उक्त वर्णित कृषि आराजियात को बेच देंगे और तुम लोगो के लिए कुछ भी जमीन नही रखेगें। विपक्षीगण प्रा.पत्र वर्णित आराजियात को हस्तान्तरित करना चाहते हैं। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रा.पत्र वर्णित आराजियात मे किसी प्रकार से रहन बेचान दान आदी से हस्तान्तरित न तो स्वयं करें न ही अपने नौकर एजेन्ट व रिश्तेदार न किसी अन्य से करावें। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी जवाबी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी दिलखुश एवं मोहित विपक्षी के पास निवास कर रहे हैं। प्रार्थी स.1 की पत्नि भूलाबाई ने आ प्रार्थीगण पर दबाव बनाया कि कृषि आराजी उसके नाम कराओ उसकी बात नही मानी तो विपक्षीगण के विरूद्ध दहेज प्रताडना का झूठा प्रकरण थाना बेगू मे दर्ज करवा दिया। विपक्षी स.1 की पत्नि भूलाबाई ने मनगढत तथ्य अंकित कर दिलखुश एवं मोहित के नाम प्रा पत्र व वाद प्रस्तुत किया जो खारिज किया जावे। प्रकरण मे उभयपक्ष	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया प्रकरण मे दस्तावेज व वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस मे न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेगू निर्णय दिनांक 6-1-23 की छाया प्रति का अवलोकन किया गया जिसमे विपक्षी स-1 को प्रार्थी दिलखुश व मोहित एवं माता भूला बाई को 1000 रु- प्रत्येक के लिए भरण पोषण हेतु अदा करने हेतु पाबन्द किया गया है। उक्त वर्णित आराजियात मे विपक्षी गण खातेदार है। उक्त आराजियात पैतृक है। प्रार्थी गण के विपक्षी स-1 सत्यनारायण पिता है। यदि विपक्षी द्वारा प्रा-पत्र वर्णित आराजियात को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो विपक्षी गण का हक अधिकार समाप्त होने की संभावना है। इस लिए विपक्षी गण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत समझते है। अत: प्रार्थी गण का प्रा-पत्र अ-धा-212 R-T A का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी स 1 व 2 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है मौजा महेसरा प-ह-राजगढ की आराजी स-614/228 रकबा 0.6600 हे० व 228, 290 कुल किता-2-कुल रकबा 0.7800 हे. भूमि को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द रहन बेचान दान आदि से हस्तान्तरित न तो स्वंय करें या न ही अपने नौकर एजेन्ट व रिश्तेदार न किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बार नम्बर से कम हो।

सेवाम्,
मु
23/11/20